द्वारिका लाल - कुन्दन लाल - 65/2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2.6.23	पत्रावली प्रस्तुत/वादी अपीलंट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ...5.6.23... तक पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31.7.23 को पेश हो।	
31.7.23	पत्रावली प्रस्तुत अधिवक्ता संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3.10.23 को पेश हो।	
3.10.23	पत्रावली प्रस्तुत अधिवक्ता संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22.11.23 को पेश हो।	
22.11.23	पत्रावली प्रस्तुत/वादी अपीलंट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15.2.24 को पेश हो।	
15.2.24	पत्रावली प्रस्तुत अधिवक्ता संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3.5.24 को पेश हो।	
3.5.24	पत्रावली पेश। वादी उपस्थित [illegible] वास्ते बहस दिनांक 22.5.24 को पेश हो।	
22.5.24	पत्रावली प्रस्तुत अधिवक्ता संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5.7.24 को पेश हो।	
5.7.24	पत्रावली पेश। वादी उपस्थित [illegible] वास्ते बहस दिनांक 19.7.24 को पेश हो।	
19.7.24	पत्रावली पेश। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो।	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी बलदेवाराम धोजक RAS

अपील संख्या 65 / 2018

छिगनलाल (फौत)

1 श्रीमती बरजी देवी पत्नी छिगनलाल

2 रामावतार पुत्र छिगनलाल

3 रामचन्द्र पुत्र छिगनलाल

4 रामेश्वर पुत्र छिगनलाल

5 ईश्वरलाल पुत्र छिगनलाल

6 राजेन्द्र पुत्र छिगनलाल

7 संतोष पुत्री छिगनलाल

8 प्रभाती देवी पुत्री छिगनलाल

9 आची देवी पुत्री छिगनलाल

10 सरोज देवी पुत्री छिगनलाल

समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम राजपुरा तहसील व जिला सीकर राज.
।

अपीलांट

बनाम

1 कुन्दनलाल पुत्र गोपीराम पुत्र चेताराम पुत्र बीजाराम

2 शारदा देवी बेवा मदनलाल पुत्र गोपीराम पुत्र चेताराम (नाम हजफ)

3 संतोष कुमार पुत्र मदनलाल पुत्र गोपीराम पुत्र चेताराम

4 राजेश कुमार पुत्र मदनलाल पुत्र गोपीराम पुत्र चेताराम

जति महाजन निवासीगण राजपुरा तहसील व जिला सीकर।

5 उप पंजीयक महोदय सीकर।

6 तहसीलदार महोदय सीकर।

रेस्पोडेट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.05.2018 मु.नं.
126/2010 बउनवानी कुन्दनलाल बनाम छगनलाल
वगैरह उपखण्ड अधिकरी महोदय सीकर
अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 126/2010 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 176 वाके ग्राम राजपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सनुवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में पिछले 8 वर्ष से विचाराधीन होना को आधार माना है जबकि किसी भी तारीख पेशी पर अपीलांट प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से कोई कृत्य नहीं किया गया है। आवेदन 212 आरटीएक्ट का निस्तारण करते वक्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इनगिरी सेट के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त प्रावधानों को ताक में रखकर मनमाने रूप से निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार कोई भी निर्णय आदेशिका में पारित न किया जाकर सम्पूर्ण शीर्षक के साथ अलग से पारित किया जाने का प्रावधान होते हुए भी बिना किसी शीर्षक के आदेशिका निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अपीलांट वादग्रस्त भूमि का पूर्व स्वामी था तथा रेकार्डेड काबिज काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादग्रस्त भूमियों के बाबत अपीलांट स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 128 वर्ष 1974 को इसी न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2008 अपील खारिज की गयी है। तत्पश्चात उसी प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 का आवेदन स्वीकार करने का प्रथम दृष्टया आधार क्या है यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील एवं वाद वाद कारण विरोधाभाषी है तथा रेस्पोडेन्ट क्लीन हैंड से न्यायालय के समक्ष नहीं आये तथा चालाकी व कपटपूर्वक व्यवहार वाले किसी पक्षकार को सहायता दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 1.57 हैक्टेयर वाके ग्राम राजपुरा तहसील व जिला सीकर पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर व निर्बाध रूप से बिना किसी रोक टोक से काबिज चला आ रहा है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिये जाने से अपीलांट अपनी स्वयं की खातेदारी की भूमि का एन्जोय नहीं कर सकता। इसलिए विचारण न्यायालय की निर्णय की कियान्विती को स्थगित किया जाना प्रार्थनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से उभयपक्ष को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने धारा 212 के निस्तारण के लिए निर्धारित तीन घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अपीलांट वादग्रस्त भूमि का पूर्व स्वामी था तथा रेकार्डेड काबिज काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादग्रस्त भूमियों के बाबत अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 128 वर्ष 1974 को न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2008 अपील खारिज की गयी है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तत्पश्चात उसी प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 का आवेदन स्वीकार कर विधिक त्रुटि की गई है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर